

09/02/23

फत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
फत्रावली, फत्रावली पर उपस्थित वस्तावज व न्याय
के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन कर, की गई
वस्तु पर मतन उपरांत प्रा. पत्र धारा 136, क्र. राम.
अधि., 1956 साक्षित होने पर न्यायहित में स्वीकार



सं०

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

09/02/23

किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से तैकित
करवाया जाकर शा. नि. किया गया। यह निर्णय
सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया। इस हेतु
तहसीलदार, फुलेरा को तहरीर जारी हो। पचावती
फैसल शुमार हो दर्ज अंतर्गत से रजम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपरोक्त अधिकारी
सागर लेख